

अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन : जरूरत और भूमिका

विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें पूरे संसार से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, भाषा-वैज्ञानिक, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी सम्मिलित होते हैं। भारत की सीमाओं को पार करके पूरे विश्व में फैली हुई हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी के विकास की समीक्षा करने के लक्ष्य से, 'विश्व हिंदी सम्मेलन' आयोजित करने का विचार 40 साल पहले किया गया। इस विचार को मूर्त रूप देते हुए 10-12 जनवरी 1975 को 'पहला हिंदी विश्व सम्मेलन' नागपुर में आयोजित किया गया। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के सहयोग से संपन्न इस प्रथम विश्व सम्मेलन के आयोजन को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी का प्रोत्साहन सराहनीय है। इसी सम्मेलन के साथ 'विश्व हिंदी सम्मेलन' की शृंखला शुरू हुई।

विश्व हिन्दी सम्मेलन शृंखलाएँ

क्रम	तिथि	नगर	देश
१	१०-१४ जनवरी १९७५	नागपुर	 भारत
२	२८-३० अगस्त १९७६	पोर्ट लुई	 मारीशस
३	२८-३० अक्टूबर १९८३	नई दिल्ली	 भारत
४	२-४ दिसम्बर १९९३	पोर्ट लुई	 मारीशस
५	४-८ अप्रैल १९९६	त्रिनिडाड-टोबेगो	 त्रिनिदाद और टोबेगो
६	१४-१८ सितम्बर १९९९	लंदन	 संयुक्त राजशाही
७	५-९ जून २००३	पारामरियो	 सूरीनाम
८	१३-१५ जुलाई २००७	न्यूयार्क	 संयुक्त राज्य अमेरिका
९	२२-२४ सितम्बर २०१२	जोहान्सबर्ग	 दक्षिण अफ्रीका
१०	१०-१२ सितम्बर २०१५	भोपाल	 भारत

132 / हिंदी का वैश्विक परिदृश्य

अगले ही वर्ष दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन-स्थल मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई को बनाया गया, जहाँ 28-30 अगस्त 1976 को विश्वभर के हिंदी प्रेमी और साहित्यकार एकत्र हुए। सात वर्ष बाद, पुनः भारत में तीसरा 'विश्व हिंदी सम्मेलन' आयोजित किया गया।



28-30 अगस्त 1983 को नई दिल्ली में संपन्न इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। उसके पश्चात 'चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन' 2-4 सितंबर 1993 को मॉरिशस की पोर्ट लुई में, पाँचवा 4-8 सितंबर 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो

में, छठा सम्मेलन 14-18 सितंबर 1999 को लंदन, यूके में, सातवां 6-9 जून 2003 को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में आठवां 13-15 जुलाई 2007 को न्यूयार्क अमरीका में और नौवां सम्मेलन 22-24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग,



हिंदी का वैश्विक परिदृश्य / 133

दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गये।

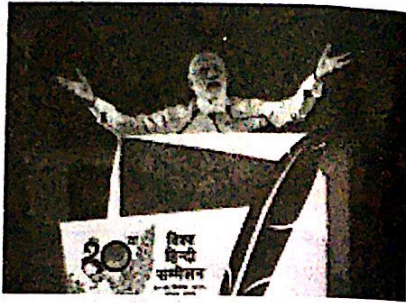
1975 में 'पहला विश्व हिंदी सम्मेलन' संपन्न होने के समय से लेकर अब तक देश-विदेश में हिंदी भाषा का जोरदार प्रचार-प्रसार हुआ। विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होने लगा, जीवन में अनेकानेक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग व्यापक हो गया। समय-समय पर संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलनों में इन सभी विषयों की समीक्षा होती आई। चालीस वर्ष के इस लंबे सफर में हिंदी प्रेमियों को एक पीड़ा कुलबुलाती रही कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता क्यों नहीं मिली? आज भी समूचा हिंदी संसार हिंदी के उस उच्च स्तर को देखने की प्रतीक्षा कर रहा है। साहित्येत्तर क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी भाषा के संवर्धन के प्रयास को ध्यान में रखकर, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को हिंदी भाषा केंद्रित बनाने का निर्णय लिया गया। अतः 10-12 सितम्बर 2015 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित सम्मेलन की चर्चा परिचर्चाओं की धारा हिंदी साहित्य से हठकर हिंदी भाषा और लिपि की ओर मुड़ गयी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संचालन में संपन्न इस सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुष्मा स्वराज ने की, जिसमें 39 देशों से पधारे लगभग पाँच हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय निर्धारित हुआ- 'हिंदी जगतः विस्तार एवं संभावनाएं।' पिछले नौ सम्मेलनों की तुलना में दसवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन कई बातों में विशिष्ट एवं अपूर्व साबित हुआ। इस सम्मेलन की अनेक विशेषताएँ हैं। 32 वर्ष के बाद विश्व हिंदी सम्मेलन का भारत में संपन्न होना पहली विशेषता है।

स्वयं प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर सम्मेलन का उद्घाटन किया जो एक विशेषता है। 1983 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने किया था। उसके पश्चात प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया गया विश्व हिंदी सम्मेलन यही है। 10 वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बंधेबंधाये क्रम को हटाकर हिंदी की सेवा, हिंदी प्रचार एवं प्रसार के क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए अनुभवी लोगों के वक्तव्यों के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को चर्चा में भागीदार बनाने तथा उनके सुझावों को प्रतिवेदनो में स्थान देने वाले कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। ये सभी विशेषताएँ 10 वें विश्व हिंदी सम्मेलन की अपूर्वता और सफलता के द्योतक हैं। 10 वें विश्व हिंदी सम्मेलन ने खासकर विज्ञान तकनीकी, सूचना-प्रौद्योगिकी, प्रशासन विदेश नीति, पत्रकारिता-मीडिया, विधि-न्याय आदि क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग से जुड़ी हुई समकालीन समस्याओं पर गहरी चर्चा करके,

संसार के देशों में हिंदी को फैलाने की दिशा में हिंदी प्रचारकों, लेखकों एवं शिक्षकों में नया उत्साह भर दिया और उन्हें भरपूर प्रेरणा प्रदान दी।

10वें विश्व हिंदी

सम्मेलन के पहले दिन 10 सितंबर को 10:30 बजे, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और कहा कि हिंदी की उपेक्षा करना देश के लिए नुकसान है, आगे उन्होंने कहा कि दुनिया में



हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया की लगभग 6000 भाषाओं में से 90 प्रतिशत के लुप्त होने की संभावना है। भविष्य में 'डिजिटल वर्ल्ड' में केवल अंग्रेजी, चीनी और हिंदी भाषाएँ ही राज करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की भारत में जरूरत बताते हुए कहा कि हिंदी साहित्य भारत की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों, जन-जीवन और मूल्यों का दर्पण है। हिंदी में बात करने को गौरवपूर्ण मानना चाहिए। वे दुनिया में जिस देश में भी गए, हिंदी में ही भाषण दिया, इससे उनका आदर बढ़ा तो है, घटा नहीं। मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम, चीन, रूस, मंगोलिया आदि देशों में हिंदी भाषा के प्रति बढ़ते हुए प्रेम और आदर को उन्होंने स्वयं देखा है। हिंदी भाषा को दुनिया भर में फैलाने में बॉलीवुड फिल्मों (सिनेमा) की भूमिका महत्वपूर्ण है। मोदी ने हिंदी सम्मेलन को 'हिंदी महाकुंभ' कहा और 39 देशों से उसमें पधारे सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। 10 वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 12 विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया। 'विदेशों में हिंदी शिक्षण', 'विदेशी नीति में हिंदी', और विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा नामक अंशों पर कुल 7 सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में विदेशों में हिंदी शिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के क्षेत्रों में प्रयत्नरत 12 वक्ताओं ने अपने-अपने देशों में हिंदी भाषा के प्रति आदर तथा इस दिशा में उनकी परेशानियाँ तथा समस्याओं का उल्लेख किया। इन वक्ताओं ने सुझाव दिया कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में विदेशियों के हिंदी साहित्य को भी उपलब्ध कराया जाये, भारत

सरकार हिंदी शिक्षण के लिए योग्य अध्यापकों को उनके देशों में तथा पाठ्य पुस्तकों को पर्याप्त मात्रा में समय पर भेजने का प्रबंध करें तथा ज्यादा से ज्यादा विदेशी विद्यार्थियों को भारत में हिंदी पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाये।

'प्रशासन में हिंदी' विषय पर आयोजित 3 सत्रों में 6 वक्ताओं ने भाग लिया। इन वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से हिंदी में ही संपन्न हो। इन 3 सत्रों की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने कहा कि, 'सरकार के सभी कार्य अगर हिंदी में ही संपन्न हो, तो प्रजा के लिए सुविधा होगी। नागरिकों और अधिकारियों के बीच बनी खाई को हिंदी ही पाट सकेगी। उच्च स्तर के न्यायालयों में हिंदी अपनाई जायेगी। 'गिरमिटिया देशों में हिंदी' अंश पर 2 सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों की अध्यक्षता गोवा की राज्यपाल श्रीमति मृदुला सिन्हा ने की। इन सत्रों में भाग लेने वाले वक्ताओं में उत्तरप्रदेश के सांसद डॉ. राम नरेश मिश्र ने सुझाया कि भारत सरकार गिरमिटिया देशों के छात्रों को भारत के विद्यालयों में आरक्षण का प्रबंध करे। डॉ. कमल कुमार मिश्र ने माँग की कि हिंदी भाषा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए रामायण तथा अन्य ग्रंथ गिरमिटिया देशों में भेजने चाहिए। राकेश पांडेय ने सुझाया कि भारत सरकार उन्हीं अधिकारियों को गिरमिटिया देशों में भेजे, जो वहाँ की बोलियों की जानकारी रखते हैं।

'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी'

अंश पर आयोजित 3 सत्रों की अध्यक्षता हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि अशोक चक्रधर ने की। अशोक चक्रधर ने अपने भाषण में बताया कि भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विभाग कंप्यूटर में हिंदी प्रयोग को बढ़ाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर, यापस, इनस्क्रिप्ट की बोर्ड आदि उपलब्ध कराये। अगर कंप्यूटर के जरिये हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाये, तो सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ नये-नये सॉफ्टवेयर, नयी टेक्नॉलजी उपलब्ध करने की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगी। डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा ने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग के साथ-साथ हिंदी के उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा।



‘देश-विदेश में प्रकाशन : समस्याएं एवं समाधान’ विषय पर आयोजित 2 सत्रों की अध्यक्षता श्री बलदेव भाई शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष यहां लगभग एक लाख पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के पाठकों की संख्या बहुत घट गई है। श्री अशोक गुप्ता ने सुझाया कि अगर भारत सरकार विदेशों में हिंदी ग्रंथालयों की स्थापना करके प्रवासी भारतवासियों के लिए हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कर सकेगी तो हिंदी का विकास होगा।

‘विज्ञान क्षेत्र में हिंदी’ विषय पर आयोजित 3 सत्रों की अध्यक्षता भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग सफल रूप में करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। विज्ञान संबंधी विषय आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास हिंदी के माध्यम से होना चाहिए। डॉ. बालकृष्ण सिन्हा ने सुझाया है कि वैज्ञानिक भाषा में प्रयोग करने वाले पारिभाषिक शब्द सरल एवं बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए।

‘विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषा’ विषय पर आयोजित 2 सत्रों की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी ने की। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि विधि संबंधी विषयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायाधीश श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव ने विचार व्यक्त किया कि इंग्लैंड जैसे देशों की तरह हमारे देश में भी, अदालतों के फैसले देशी भाषा हिंदी में देना मुमकिन हो सकता है। श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश की अदालतों में अर्जियों की स्वीकृति और फैसलों का दिया जाना हिंदी में दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ वहाँ की प्रांतीय भाषा कन्नड़, तमिल, और तेलुगु में भी फैसले दिए जा रहे हैं।

‘हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों की भाषा की शुद्धता’ विषय पर संपन्न 2 सत्रों की अध्यक्षता हिंदी की प्रमुख लेखिका व पत्रकार श्रीमती मृणाल पांडे ने की। श्री नरेंद्र कोहली ने विचार व्यक्त किया कि एक ओर अंग्रेजी के प्रति मोह को लेकर माँ-बाप अपने बच्चों को उसी माध्यम में पढ़ाते हुए हिंदी से उन्हें दूर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ एवं मीडिया हिंदी भाषा को आंग्ल बनाकर हिंदी के साथ घोर अन्याय कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव ने बताया कि हिंदी भाषा को शुद्ध बनाकर, स्वच्छ हिंदी जनता एवं पाठकों के समक्ष लायी जाये।

‘बाल साहित्य में हिंदी’ विषय पर आयोजित 2 सत्र ही हिंदी भाषा के प्रति आकर्षण व प्रेम उत्पन्न करने में बाल साहित्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन सत्रों की अध्यक्षता तेलुगु भाषी हिंदी लेखक, प्रसिद्ध बाल साहित्य पत्रिका चंद्रमामा के पूर्व संपादक डॉ. बाल शौरि रेड्डी ने की। डॉ. रेड्डी ने अपने भाषण में बताया कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित्सागर के रूप में बाल साहित्य की बड़ी समृद्ध परंपरा चली आ रही है। इस तरीके से हिंदी बाल साहित्य व्याप्त हुआ और आज भी विश्वव्यापी बन गया। डॉ. वीणा गौतम ने विचार व्यक्त किया कि लोरी गीत, बाल-गीत, आदि बच्चों को भाषा का स्वाद चखने वाला आरंभिक बाल साहित्य है। अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी अंश पर 2 सत्र आयोजित किये गये। पूर्व सांसद और केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने सुझाया कि जब तक हिंदी का प्रचार-प्रसार सफलतापूर्वक करने के उपायों की चर्चा नहीं होगी, तब तक विश्व हिंदी सम्मेलन के आशय की सिद्धि नहीं हो सकेगी। इस विषय पर यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद को ही उनके संयोजक का दायित्व सौंप दिया गया। आंध्र विश्व विद्यालय से अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य एस. शेषारत्नम ने अपने प्रांतों में हिंदी के विकास में पड़ी बाधाओं को स्पष्ट किया तथा उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्र भाषा, संपर्क भाषा एवं राजभाषा के रूप में आदर प्राप्त करती हिंदी के विकास और विस्तार की संभावनाओं की कमी नहीं है, उनका सदुपयोग करके हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में अधिकारिक भाषा के रूप से मान्यता दिला सके, तो हिंदी विश्व-व्यापी बन सकेगी। प्रो. ललितांबा ने कहा कि हिंदी न केवल एक ऐसे प्रांत की भाषा है अपितु वह समस्त भारत की भाषा है। प्रो. ज्ञानम ने कहा कि हिंदी सिनेमा, गीत, दूरदर्शन-कार्यक्रम आदि ने देश-विदेश में हिंदी के प्रति प्रेम व आकर्षण उत्पन्न किये हैं।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य आर.एस. सराजू ने कहा कि हिंदी में वैज्ञानिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए, तकनीकी शब्दावली के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सत्रों के संयोजक आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने चर्चाओं में सर्वसम्मति से अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रकट किया-

1. हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और आदर बढ़ाने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर में सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं शिक्षा संस्थानों में ‘हिंदी उत्सव’ मनाना चाहिए।
2. अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिंदी प्रसार के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के

विकास की ओर कदम उठाना चाहिए।

3. हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन आदि संस्थाओं की कार्य योजनाओं में समन्वय होना चाहिए। इन संस्थानों के लक्ष्यों को वर्तमान की जरूरतों के अनुसार पुनः परिभाषित करना चाहिए।

4. हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित सरकारी और साहित्य संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले पदों पर हिंदीतर क्षेत्रों से भी पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक, उपकुलपति जैसे पदों पर सृजन करके अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों के हिंदी विद्वानों एवं विशेषज्ञों को इन संस्थाओं से जोड़ना चाहिए।

5. हिंदी में अनुवाद कार्य निरंतर, योजनाबद्ध रूप में करने तथा हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की पाठ्य-पुस्तकें निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

6. अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिंदी प्रचार के लिए स्थापित सरकारी संगठनों को संपर्क भाषा के प्रयोग, सेवा क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए।

7. पूर्वोत्तर भारत में लिपिहीन नई भाषा रोमन लिपि अपनाई जा रही है। रोमन पर देवनागरी को विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का एक अपूर्व महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह था कि सम्मेलन के सत्रों में वक्ताओं के भाषण विद्वान-विशेषज्ञों के सुझाव चर्चाओं में व्यक्त समस्या एवं उनके समाधान आदि के निचोड़ से हर विषय पर आयोजित सत्रों से निश्चित अनुशासित बनाकर-प्रबंधन समिति को समर्पित की जाये।

हिंदी सम्मेलन के अंतिम दिन 12 सितंबर को अपराह्न 3 बजे 'रामधारी सिंह दिनकर' सभागार में मुख्य अतिथि गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ने



10 विषयों पर चलाए गये सत्रों के संयोजकों ने 39 देशों से पधारे 5000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपने-अपने सत्र की अनुशासित पढ़कर, संचालकों को समर्पित

की। मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह ने अपने समापन भाषण में 10 वें विश्व हिंदी सम्मेलन को भव्य एवं अपूर्व रूप में चलाने के लिए महीनों से योजनाबद्ध प्रबंधों में लगी परामर्शदाता, प्रबंधकों एवं कार्यक्रम समितियों के अध्ययन और सदस्यों का अभिनंदन किया। सत्रों के संयोजकों की भूमिका की उन्होंने प्रशंसा की तथा आशा व्यक्त की कि हिंदी भाषा आने वाले दिनों में भारत को गौरव जुटा सकेगी।

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य विषय 'हिंदी जगत : विस्तार एवं संभावनाएं' पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी डॉ. मोटिरि सत्यनारायण प्रदर्शनी कक्ष में लगाई गई। इस प्रदर्शनी में संचार एवं प्रौद्योगिकी और विज्ञान में हिंदी के प्रयोग को विस्तृत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विभिन्न संस्थाओं जैसे-गूगल, सी डैक, भारतकोश, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।

'मध्यप्रदेश : शब्द वैभव' नाम से एक अन्य प्रदर्शनी भी मध्यप्रदेश प्रशासन द्वारा सोमदत्त बखोरी प्रदर्शनी कक्ष में लगाई गई, जिसमें हिंदी साहित्य में मध्यप्रदेश के अनुपम योगदान को भी अत्यंत रोचक रूप में दर्शाया गया। 10 वें विश्व

हिंदी सम्मेलन के पहले दिन 10 सितंबर की शाम को इस कार्यक्रम में नृत्य छटा के अंतर्गत पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण के हर कोने की संस्कृतियों की झलक मिली कार्यक्रम की श्रृंखला में असम से बिहु नृत्य लेकर



सोमनाथ बोरा, आये गुजरात के सूरत भावनागर भरूच में बसी अफ्रीकी जन-जातियों ने मनोरम नृत्य प्रस्तुत किया। इसमें कश्मीर के रुफ नृत्य, कोरल की कलारीपयट्टू नृत्य तथा पश्चिम बंगाल का परूलिया छाऊ नृत्य ने प्रतिनिधियों का मन मोह लिया। दूसरे दिन 11 सितंबर की शाम को खुले मंच पर हिंदी के इतिहास की कथा के वर्णन को नृत्यों के बीच प्रदर्शित किया गया। इसमें हिंदी की बोलियों के गीतों ने मिठास धोली। यह कार्यक्रम कबीर, जायसी, तुलसी और सूर की रचनाओं पर आधारित एवं मनभावन प्रस्तुति सिद्ध हुआ।



11वां - 18-20 अगस्त 2018
पोर्टे लुइस, मॉरिशस

21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियाँ

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैश्विक धरातल पर हिंदी को लेकर गहन चिंतन की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, नई-नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं और लोगों के दृष्टिकोण में भी अंतर आ रहा है। इन सब बातों पर अनेकानेक सम्मेलनों पर विस्तारपूर्वक चर्चाएं हुई हैं परंतु प्रश्न वहीं आकर ठहर जाता है कि इन मुद्दों के सामने कौन कितना कटिबद्ध है?

भारत तो हिंदी का अथाह सागर है। वहाँ भी समस्याएं अपनी जगह हैं लेकिन साधन व संभावनाएं भिन्न हैं। भारत से बाहर वातावरण अलग ही है। फिर भी, हिंदी के उन्नयन की दिशा में विभिन्न स्तरों पर अद्भुत कार्य हो रहा है। प्रवासियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपनिवेश काल में जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर दक्षिण-अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना इत्यादि देशों में ले जाए गए थे और दूसरा जो विश्व के सभी कोनों में जाकर रोजगार, व्यापार आदि के लिए अपनी इच्छानुसार बसे हुए हैं।

इन दो वर्गों में अपने-अपने तरीके से नए निवास-स्थान के परिप्रेक्ष्य में अपने संस्कारों व अपने मूल्यों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास किया है। कहीं सफलता कम मिली है तो कहीं अधिक। परंतु यह स्पष्ट है कि 'गिरमिटिया देशों' की स्थिति लगभग एक जैसी है। इन सभी को करीब-करीब उन्हीं स्थानों से ले जाया गया था जहाँ इनकी भाषा संस्कृति व इनका रहन-सहन एक जैसा था और वे अधिक शिक्षित भी नहीं थे। इनके लिए भाषा केवल संपर्क का माध्यम नहीं थी। इनके लिए इनकी भाषा इनकी धरोहर थी जिससे इनका आत्मिक लगाव था और आदर से उसे 'मातृभाषा' कहते थे। इनकी भाषा इनके धर्म व इनके इष्टदेव से जोड़ती थी। इनकी भाषा ही इनका सम्मान था।

मॉरिशस भी उसी श्रेणी में आता है। परंतु यहाँ की बात कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर पूर्व से कोई आबादी नहीं थी और यहाँ बसाए गए लोगों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या कोई 70 प्रतिशत रही। स्वतंत्रता के पश्चात भी हमेशा भारतीय वंशज ही प्रशासन चलाते रहे हैं। अतः भाषा-संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासन का भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहा है। साथ में, भारत

और मॉरिशस के विशेष संबंधों के कारण इस दिशा में भारत सरकार व भारत की जनता की पूरी सहानुभूति प्राप्त होती रही है जो कि शायद अन्य गिरमिटिया देशों के लिए संभव न था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन 'गिरमिटिया देशों' में अनगिनत लोगों ने शिक्षक, पंडित-पुरोहित, सभा-संचालक, लेखक व प्रचारक के रूप में हिंदी भाषा को स्थापित करने की दिशा में अपने-अपने देश में अनूठी सेवा प्रदान की है। आरंभिककाल में समाजसेवी संस्थाओं ने अत्यन्त की सक्रिय भूमिका निभाई है। हिंदी पाठशालाएं खोली गईं और आज यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय स्तर पर हिंदी शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। शोधकार्य का भी यहाँ प्रावधान है। भारत और मॉरिशस की सरकारों के सहयोग से यहाँ विश्व हिंदी सचिवालय भी कार्यरत है।

आए दिन धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, सार्वजनिक कार्यक्रम, तीज-त्यौहार, उत्सव इत्यादि का आयोजन होता रहता है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। रेडियो-टेलिविजन का दैनिक प्रसारण हिंदी में भी प्राप्त होता है। यदा-कदा हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ भी पाठकों को प्राप्त होती रहती हैं। कभी-कभार कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ भी होती हैं, जैसे कवि-सम्मेलन, प्रतियोगिता, गोष्ठी, वक्तव्य आदि। समय-समय पर हिंदी पुस्तकें भी प्रकाश में आती हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी की भी भरपूर सुविधा में उपलब्ध है। इसमें संशय नहीं कि हर तरफ से हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास जारी है।

फिर भी, हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात का एहसास नहीं कि हमको अपनी भाषा के प्रति कहाँ तक प्रतिबद्ध होना चाहिए या हमारे जीवन में हमारी भाषा का क्या महत्व है। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में हम या तो अपनी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते या फिर कम से कम प्रयोग करते हैं। अपने बच्चों से तो कतई अपने भाषा में बात ही नहीं करते हैं। सबसे भयानक स्थिति यह है कि हमारे बच्चों के लिए तो हिंदी दूसरे लोक की भाषा है। घर पर सभी लोगों को बच्चों के साथ 'क्रियोल' में बात करनी होगी तभी जाकर बच्चा कुछ समझ पाएगा। यहाँ तक कि विद्यालयों में, शिक्षक को हिंदी कक्षा चलाने के लिए 'क्रियोल' का सहारा लेना पड़ता है।

स्कूलों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिनोंदिन घटती जा रही है। और तो और, अभिभावक शिक्षकों व विद्यालयों के अधिकारियों से साफ कह जाता है कि हमारा बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा। वे ही अभिभावक अपने बच्चों को अन्य भाषा व विषय के लिए ट्यूशन पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। उन्हें इस

बात का विश्वास है कि हिंदी के पीछे समय गँवाने से बच्चे का भविष्य खराब होगा और उन्हें अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अन्य भाषाओं पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यह एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति है।

हम बहुसंख्यक होते हुए भी एक हिंदी पत्र चलाने में अशक्त हैं। हिंदी पत्र-पत्रिका चलाने की बहुत कोशिश होती रही है। परंतु सफलता कभी नहीं मिलती है क्योंकि पाठक ही नहीं है। पूर्व में मुद्रण की पर्याप्त सुविधा हुआ करती थी। परंतु आज मुश्किल से कोई मुद्रणालय मिलता है जहाँ हिंदी का काम होता हो। कुछ संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने कोष से लाखों रुपये खर्च कर अपना एक अपना मुखपत्र चलाती हैं। वह भी उनके कुछ सदस्य पढ़ते हैं। यहाँ हिंदी लेखकों की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है। अपनी भाषा के प्रति प्रेमवश कई लोग अपनी रचना प्रकाशित करवाना चाहते हैं। कठोर परिश्रम के पश्चात् जब रचना पूरी हो जाती है तब प्रकाशन का प्रश्न सामने आता है। चूँकि यहाँ पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेखक महोदय को अपने खर्च पर भारत जाना पड़ता है जहाँ दर-दर की ठोकरें खाकर पुस्तक तो प्रकाशित करवा लेता है परंतु अपने देश में कोई 10 पुस्तकें भी खपा नहीं पाता है। अंततः प्रकाशक ही खपत का दायित्व लेता है। परिणामस्वरूप, मॉरिशस में उस पुस्तक के बारे में और लेखक के बारे में कोई कुछ जानता भी नहीं है।

इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दो सुझाव हैं। प्रथम, किसी न किसी संस्था व प्रशासन द्वारा पूर्व-प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को भाषा से अवगत कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। जब तक वहाँ से भाषा का वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा जब तक सफलता नहीं मिलेगी। हमारे देश में कोई 1000 सरकारी व निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय चलते हैं लेकिन इस क्षेत्र के लिए भाषा की कोई आधिकारिक योजना नहीं है। प्राथमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते देर हो जाती है। हिंदी स्पेकिंग यूनिटन द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास तो चल रहा है परंतु पर्याप्त नहीं है। आर्थिक दृष्टि से संस्था की अपनी सीमा है। इस अभियान में हिंदी कार्टून फिल्मों का काम को अधिक आसान बना देंगी।

दूसरा सुझाव है कि हिंदी के नाम पर विशेष रूप से ईमानदारी के साथ सभी संस्थाएँ मिलकर एक मंच पर कायम रहें। अपनी-अपनी गतिविधियों के लिए स्वतंत्र रहे। परंतु हिंदी के कार्यों के लिए एक अलग योजना तैयार हो जिसमें आर्थिक सहयोग अत्यावश्यक है। तब प्रकाशन, शिक्षण, पत्र-पत्रिका व हर प्रकार के हिंदी प्रचार-कार्य के लिए अलग से कोई ठोस योजना हो। सभी संस्थाओं के

144 / हिंदी का वैश्विक परिदृश्य

प्रतिनिधि मिलकर एक विशेष समिति गठित करें। सभी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दे। अलग-अलग कार्य करने से बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाएँगे और स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी आज है।

इन देशों में प्रारंभिक स्तर से कार्य की शुरूआत होनी चाहिए। इन देशों में अधिकतर देवनागरी के बदले रोमन-लिपि से काम चलाया जाता है। वहाँ शिक्षकों को तैयार करना चाहिए जो जगह-जगह पर हिंदी कक्षाएं चला सकें। इनके लिए इनकी आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक देश की माँग के अनुसार सामग्री तैयार होनी चाहिए। अभी तक किसी ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। हम लोग बस सभी देशों में एक समान कार्यक्रम चलाते हैं और पीछा छुड़ा लेते हैं तथा इन देशों को अपने हाल पर रोने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनकी समस्या का समाधान कभी प्राप्त नहीं होता है। ईमानदारी से इस दिशा में ऊर्जा, साधन व समय का सदुपयोग करना होगा। आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध है।

पश्चिम के तीव्र आघातों एवं विश्व के तेजी से बदलते संदर्भ के चलते हिंदी की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है। अब मात्र कुछ गतिविधियाँ कर देने से काम नहीं चलेगा। अधिक शक्ति व अधिक से अधिक आवश्यकता है। पर इनसे अधिक ईमानदारी के साथ समर्पण भाव की अति आवश्यकता है। इस मुहिम में सभी का साथ मिलेगा और सब कदम से कदम मिलाकर संघर्ष जारी रखेंगे। तभी 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियों से संभल सकेंगे।